"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313-ब]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 18, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/46/2011/वाक/पांच (54).—छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्रमांक 13 सन् 1988) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र/प्रक्षेत्रों में स्थापित होटलों/वासगृहों में प्रदाय विलासिता पर धारा 4 के अंतर्गत लगने वाले समस्त करों से छूट प्रदान करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 31-01-2011 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ-10/46/2011/वाक/पांच (54).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/46/2011/वाक/पांच (54), दिनांक 09-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 9th December 2011

NOTIFICATION

No. F-10/46/2011/CT/V(54).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988), the State Government hereby exempt the tax under section 4 of the said Act on the luxury provided by hotels situated in the Special Economic Zones as notified under the Chhattisgarh Special Economic Zone Policy, 2010.

2. This notification shall be effective from 31-01-2011.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.